न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2011

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

दलित वर्ग संघ छात्रावास जरिये अध्यक्ष श्री टीकमाराम पुत्र विरधाराम जाति मेघवाल निवासी बीसु कला तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव जिला बाड़मेर
2. गंगासिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 67/2004 दिनांक 20.10.04 जो अप्रार्थी सं. 2 गंगासिंह के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतमदास सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27/11/2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम शिव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 67/04 दिनांक 20.10.2004 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार कुल 3600 वर्गफुट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत शिव द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की असत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान

जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा आलौच्य पट्टे वाली भूमि सहित 350 गुणा 200 फुट का पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 को प्रार्थी दलित वर्ग संघ छात्रावास, अध्यक्ष शिव के नाम से जारी किया गया है, तत्समय पूरे भूखण्ड 350 गुणा 200 वर्गफुट पर दलित वर्ग संघ छात्रावास का स्वामित्व एवं आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस भूखण्ड पर अनुसूचित जाति के सदस्यों हु छात्रावास निर्मित था जो विगत भारी वर्षात व बाढ़ के कारण धराशायी हो चुका है, इसके अलावा इस भूखण्ड पर वर्ष 2005 मे सामुदायिक सभा भवन अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, वृद्धों के लिये आश्रम व छात्रों के लिये 40 गुणा 60 फुट भू–भाग पर भवन निर्मित हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उक्त 350 गुणा 200 फुट भूखण्ड पर दलित वर्ग संघ का कब्जा होने के बावजूद विवादित पट्टा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया हैं जो पूर्णतया अनाधिकृत एवं अवैध ही नही बल्कि विधि विरूद्ध है जो निरस्तनीय हैं।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 गंगासिंह के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधि अनुरूप कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई हैं, न ही पत्रावली संधारित की गई है बल्कि मिलीभगत कर उक्त पट्टा जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी होने के 15 दिन पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा एक ऐसा ही विधि विरूद्ध पट्टा विजय कुमार के पक्ष मे जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध भी प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया जाना दर्शाया गया है जबकि मौके पर अप्रार्थी सं. 2 गंगासिंह का कोई कब्जा मौके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

पर न था और न ही वर्तमान में हैं। आलौच्य पट्टा के पडौस में दक्षिण में विजय कुमार का प्लॉट तथा पूर्व में भी विजय कुमार का प्लॉट दर्शाया गया हैं जबकि विजय कुमार के नाम से पट्टा ही दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्र दिनांक 26.04.2011 से अवगत कराया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 गंगासिंह के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही हैं, ऐसी दशा में आलौच्य पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि उप पंजियक शिव से प्राप्त की गई हैं। विजय कुमार व गंगासिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर समस्त कार्यवाही को षडयंत्र पूर्वक अंजाम दिया है, इस आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत शिव द्वारा बिना पंत्रावली संधारित किये आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के नियम 147 से 157 की कतई पालना नहीं की है इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 67/04 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा पट्टा संख्या 67/2004 सही तरीके से पूर्णतया जांच करने के बाद जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र झूठे एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं जो निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी दलित वर्ग संघ के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा दिनांक 02.10.1981 व 20.07.2005 को जो पट्टे जारी किये गये थे वे गलत व अवैध थे जिसे भिन्न-भिन्न न्यायालयों द्वारा पूर्व में अवैध व फर्जी होना करार दिया जा चुका है तथा वर्तमान में पट्टा संख्या 137 दिनांक 02.10.1981 के विरूद्ध आईदानसिंह द्वारा व पट्टा दिनांक 20.07.2005 के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निगरानी पेश की गई हैं जो विचाराधीन हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी आलौच्य में रही छोटी-छोटी तुच्छ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तकनीकी गलतियों व भूलों का सहारा लेकर अपने अवैध व अनुचित पट्टे को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास प्रार्थी द्वारा किया जा रहा हैं। आलौच्य पट्टा अधीन भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा व स्वामित्व है जिसकी सम्पूर्ण जांच करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। इसी विवादित भूमि को लेकर प्रार्थी दलित वर्ग संघ द्वारा सिविल जज (क0ख0) बाड़मेर में सिविल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज हो चुका हैं। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा से सम्बन्धित कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तथा मौके पर इसका कोई अस्तित्व कभी नही रहा हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में वर्ष 1981 में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया था जिस पर पुनः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दिया गया पट्टा सं. 67/04 गलत एवं विधि विरूद्ध जारी किया गया हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब में प्रकट किया हैं कि आलौच्य पट्टा अधीन भूमि पर उसका ही कब्जा हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका कब्जा की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि आक्षेपित पट्टा की भूमि 3600 वर्गफीट पर किसी प्रकार का निर्मित, अर्द्धनिर्मित ढांचा नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन उपरांत प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती हैं। आलौच्य पट्टा विलेख नियम 150 के तहत जारी किया गया है जिसके तहत भूमि निलामी किये जाने का प्रावधान है। यद्यपि आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नहीं मिलने से इस बाद का समाधान किया जाना संभव नही हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया हैं किन्तु उक्त पट्टे का जब उप पंजियक शिव के समक्ष पंजियन कराया गया है तब पंजियन दस्तावेज में उक्त पट्टा नियम 157ख के तहत जारी करना अंकित किया गया हैं। इस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकार आलौच्य पट्टा में उक्त दोनो विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये हैं तथा नियम 157 के तहत 200/– रूपये शुल्क लेकर 50 वर्षों से निवास होने पर नियमितीकरण किया जा सकता हैं जबकि तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई निर्मित अथवा अर्द्धनिर्मित ढांचा नहीं पाया गया हैं। इसी प्रकार सिविल वाद सं. 41/2011 व 42/2001 के संदर्भ में मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके बिन्दु सं. 5 अंकित किया हैं कि उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड मार्क ''ए ई जे एम ए'' पर मेघवाल समाज का कब्जा है एवं इसी के बिन्दु सं 3 में अंकित हैं कि गंगासिंह ने इसमे से मार्क ''ए बी पी ओ ए'' अपना भूखण्ड बताया है जहां पर ए से बी के मध्य डेढ से दो फुट सोलींग पत्थर से नीवें भरी हुई है तथा उक्त भूखण्ड में सोलींग तथा कांटे पड़े हैं। इससे स्पष्ट हैं कि नियम 157 के तहत पूर्व के रहवासी आवास की जगह पर दिये गये पट्टे की जगह पर कोई आवास नहीं था साथ ही यह भी स्पष्ट हैं कि यह भूखण्ड पूर्व के एक बड़े भूखण्ड की जमीन का दुबारा पट्टा दिया गया है जो नियमानुसार जारी नही किया जा सकता हैं। इस प्रकार जारी किया गया आलौच्य पट्टा अवैध, अनियमित कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 67/04 दिनांक 20.10.2004 निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 18:33:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: